न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मुकदमा नम्बर:– 28 / 2025
निर्णय दिनांक:– 28.03.2025
पीठासीन अधिकारी:– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. वंशप्रताप पुत्र नरपत सिंह जाति राजपूत निवासी मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

1. राजप्रताप पुत्र नरपत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
2. लक्की कंवर पुत्री नरपत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
3. नरपत सिंह पुत्र देवी सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
4. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर राज०।
5. उप पंजीयक फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर राज०।

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता:– श्री गोपाल लाल चौधरी अधिवक्ता वादी
श्री गोपेश पारीक अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88 व 188 राज०टी०एक्ट 1955

उपखण्ड अधिकारी फागी जिला-जयपुर

निर्णय दिनांक:–28.03.2025

1. वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त खतौनी सं. 266 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1000 रकबा 0.3920 हैक्टेयर, ख0नं0 856 रकबा 0.4299 हैक्टेयर, ख0नं0 857 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, ख0नं0 858 रकबा 0.2150 हैक्टेयर, ख0नं0 859 रकबा 0.4173 हैक्टेयर, ख0नं0 860 रकबा 0.2150 हैक्टेयर, ख0नं. 861 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, ख0नं0 862 रकबा 0.8852 हैक्टेयर, ख0नं0 863 रकबा 0. 4299 हैक्टेयर, ख0नं0 864 रकबा 0.4299 हैक्टेयर, ख0नं0 865 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, ख0नं0 866 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, ख0नं0 985 रकबा 0.3288 हैक्टेयर, ख0नं0 999 रकबा 0.0379 हैक्टेयर कुल किता 14 कुल रकबा 3.9325 हैक्टेयर भूमि जो प्रतिवादी सं. 3 के दर्ज हिस्सा सम्पूर्ण में से वादी का 1/4 प्रतिवादी सं0 2 का 1/4 हिस्सा, भूमि वाके ग्राम मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी जिला जयपुर राज. मे स्थित है, एवं मौके पर उपर्युक्त आराजीयात पर काबिज काश्त बिना किसी बिघ्न बाधा के मुतबातिर चले आ रहे है एवं लगान सरकारी जमा कराते चले आ रह है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। तथा आराजी भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 की आराजी हैं वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 की आराजी है। उपर्युक्त सिजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण एक ही हिन्दु परिवार के सदस्य है, उक्त भूमि वादी की बुआ रूप कंवर के नाम दर्ज रिकार्ड थी, जिसको प्रतिवादी सं0 3 ने वादी की बुआ से जरिये उपहार पत्र दिनांक 01.04.2022 को प्रतिवादी सं0 3 ने अपने नाम करवा ली जबकि मौके पर वादी व प्रतिवादीगण बराबर–बराबर बंटवारा कर काबिज काश्त चले आ रहे है। तथा संयुक्त रूप से लगान सरकार को अदा करते आ रहे है। विवादग्रस्त आराजी के वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 2 ने प्रतिवादी सं0 3 को विवादग्रस्त आराजी को नाम करवाने के लिये बोले तो आश्वासन देता रहा कि मौके पर आपका कब्जा है कभी भी चल कर आपके नाम करवा देंगे इस प्रकार से

उपखण्ड अधिकारी फागी, जयपुर

लगातार..................2

वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 2 आश्वस्थ रहे लेकिन वर्तमान में जमीनों के भाव बढ जाने के कारण प्रतिवादी सं0 3 की नियत में फितुर उत्पन्न हो गया तथा वादी को नाम करवाने साफ इंकार कर दिया इसलिए वादी को न्यायालय की शरण आना पड़ा तथा वादी अपने हिस्से की आराजी की घोषणा करवाने का अधिकारी है। इसलिए उक्त वाद पत्र घोषणा का प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। विवादग्रस्त आराजी में वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 2 का हिस्सा निहित है तथा मौके पर बांटकर काबिज काश्त चले आ रहे हैं प्रतिवादी सं0 3 की नियत में फितुर उत्पन्न होने से वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 2 को बेदखल करने की धमकियां दे रहे है तथा अन्य भूमाफिया को विक्रय कर वादी को बेदखल करने की नियत से प्रतिवादी सं0 1 अजनबी व्यक्तियों को साथ लेकर आया व सौदा करने की बातचीत करने लगा यदि प्रतिवादी सं0 3 अपने मन्सूबो में कामयाब हो गया तो वादी को अपने हक व हिस्से से महरूम हो जायेगा। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना आवश्यक हुआ है। वाद कारण दिनांक 10.03.2025 को प्रतिवादी सं0 3 द्वारा बेदखल करने व भूमाफियों को बैचान करने की धमकियां देने जाने कारण उत्पन्न हुआ है जो निरन्तर जारी है। वाद कारण से वाद पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत है। प्रतिवादी सं0 4 भूमिधारक एवं प्रतिवादी सं0 5 उप पंजीयन अधिकारी होने व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 2 का हिस्सा निहित होने परन्तु मौके पर उपस्थित नही होने से पक्षकार कायम किया गया है। जिनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाही गई है। श्रीमान न्यायालय को उक्त वाद की सुनवाई करने एवं निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है।

2. दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 की ओर से वकील श्री गोपेश पारीक ने वकालतनामा पेश किया।
3. वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 स्वंय हाजिर अदालत आये तथा राजीनामा पेश किया जो वाद तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपने वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये वादीगण का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।
4. अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपनी बहस मे वादी का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की।
5. बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की वादी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। मुताबिक् जमाबंदी संवत 2074 – 2077 वाके ग्राम मोहनपुरा राजावतान के खाता सं0 266 प्रतिवादी सं0 3 के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा हो चूका है। प्रतिवादी सं0 3 ने अपने राजीनामा मे वादी का वाद 1/4 – 1/4 हिस्सेनुसार डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की है। प्रतिवादी सं0 2 ने अपने हिस्से की आराजी मे वादी व प्रतिवादी सं0 1 के दर्ज किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की है। उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश मे हम वादी का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना उचित समझते है।

6. –ःआदेशः–

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त खतौनी सं. 266 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1000 रकबा 0.3920 हैक्टेयर, ख0नं0 856 रकबा 0.4299 हैक्टेयर, ख0नं0 857 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, ख0नं0 858 रकबा 0.2150 हैक्टेयर, ख0नं0 859 रकबा 0.4173 हैक्टेयर, ख0नं0 860 रकबा 0.2150 हैक्टेयर, ख0नं. 861 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, ख0नं0 862 रकबा 0.8852 हैक्टेयर, ख0नं0 863 रकबा 0.4299 हैक्टेयर, ख0नं0 864 रकबा 0.4299 हैक्टेयर, ख0नं0 865 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, ख0नं0 866 रकबा 0.0379

लगातार..................3

उपखण्ड अधिकारी
...गी, जयपुर

हैक्टेयर, ख0नं0 985 रकबा 0.3288 हैक्टेयर, ख0नं0 999 रकबा 0.0379 हैक्टेयर कुल किता 14 कुल रकबा 3.9325 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी जिला जयपुर राज. मे स्थित आराजीयात मे वादी को 3 / 8 हिस्से का, प्रतिवादी सं0 1 को 3 / 8 हिस्से का व प्रतिवादी सं0 3 को 1 / 4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। मुताबिक निर्णय पर्चा डिकी जारी हो। निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

28/3/25

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

सत्यमेव जयते

वंशप्रताप बनाम राजप्रताप वगै0
मु0न0:– 28 / 2025
निर्णय दिनांक:– 28.03.2025

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास– राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

1. वंशप्रताप पुत्र नरपत सिंह जाति राजपूत निवासी मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

1. राजप्रताप पुत्र नरपत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
2. लक्की कंवर पुत्री नरपत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
3. नरपत सिंह पुत्र देवी सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
4. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर राज०।
5. उप पंजीयक फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर राज०।

::– वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मु0न0:– 28 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादीगण श्री गोपाल लाल चौधरी हाजिर रूबरू वकील प्रतिवादीगण श्री गोपेश पारीक पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण मुताबिक राजीनामा डिकी किया जाकर विवादग्रस्त खतौनी सं. 266 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1000 रकबा 0.3920 हैक्टेयर, ख0नं0 856 रकबा 0.4299 हैक्टेयर, ख0नं0 857 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, ख0नं0 858 रकबा 0.2150 हैक्टेयर, ख0नं0 859 रकबा 0.4173 हैक्टेयर, ख0नं0 860 रकबा 0.2150 हैक्टेयर, ख0नं. 861 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, ख0नं0 862 रकबा 0.8852 हैक्टेयर, ख0नं0 863 रकबा 0.4299 हैक्टेयर, ख0नं0 864 रकबा 0.4299 हैक्टेयर, ख0नं0 865 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, ख0नं0 866 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, ख0नं0 985 रकबा 0.3288 हैक्टेयर, ख0नं0 999 रकबा 0.0379 हैक्टेयर कुल किता 14 कुल रकबा 3.9325 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी जिला जयपुर राज. मे स्थित आराजीयात मे वादी को 3/8 हिस्से का, प्रतिवादी सं0 1 को 3/8 हिस्से का व प्रतिवादी सं0 3 को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। मुताबिक निर्णय पर्चा डिकी जारी हो। निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

निज............—............मुबलिग..........—..........बाबत..........—..........खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ....—..............फीसदी..........—.......सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....—.....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28.03.2025 को जारी की गई।

दस्तखत....28/3/25
उपखण्ड अधिकारी
ओहदा.....फागी, जयपुर

मुहर (उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबुत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

28/3/25
(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर